न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 05/2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025/6

		अभियुक्त :–
राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	श्री दिनेश त्रिवेदी पुत्र श्री कमल त्रिवेदी निवासी ब्राह्मण मोहल्ला आसपुर, डूंगरपुर, मालिक/ विक्रेता) मैसर्स एवर फ्रेश रेस्टोरेन्ट, जलसा कोम्पलेक्स, कुशलगढ बांसवाडा (राज.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 03–02–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशीकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **21–01–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **26–10–2024** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉंच हेतु **मैसर्स एवर फ्रेश रेस्टोरेन्ट, जलसा कोम्पलेक्स, कुशलगढ बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री दिनेश त्रिवेदी पुत्र श्री कमल त्रिवेदी** उपस्थित थे। **विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स एवर फ्रेश रेस्टोरेन्ट, जलसा कोम्पलेक्स, कुशलगढ बांसवाडा** का निरीक्षण करने पर परिसर में **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई) एक ट्रे में 3 किलोग्राम** रखा पाया। जिसमे मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई) 2 किग्रा** वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 760/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई) 2 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारो में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारो में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 40–40 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग** पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1972** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के ह[illegible]वाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का स[illegible] चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 [illegible] प्रति आउटर क[illegible] में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से [illegible] लिफाफा में बन्द कर[illegible] से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/439 दिनांक 18–12–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1317 दिनांक 08–11–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1972** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22–01–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को पुनः जारी नोटिस दिनांक 27.05.2025 को बाद तामील पेश हुआ। अप्रार्थी दौराने सुनवाई आज दिनांक तक अनुपस्थित रहा है। आज अप्रार्थी के नाम से बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु गैरसायल/आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं उपस्थित विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस में निवेदन किया कि अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/439 दिनांक 18–12–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1317 दिनांक 08–11–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1972** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एक पक्षीय बहस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खा़द्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/439 दिनांक 18–12–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1317 दिनांक 08–11–2024 अनुसार विक्रेता से [illegible] किया गया **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1972** [illegible] food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 [illegible] बावजुद सूचना अनुपस्थित रहा है। पत्रावली में वक्त सुनवाई विभागीय पैरोकार द्वारा तत्सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सब स्टेण्डर्ड पाया गया **खाद्य पदार्थ बरफी (मावा मिठाई)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी **श्री दिनेश त्रिवेदी पुत्र श्री कमल त्रिवेदी निवासी ब्राह्मण मोहल्ला आसपुर, डूंगरपुर, मालिक/ विक्रेता) मैसर्स एवर फ्रेश रेस्टोरेन्ट, जलसा कोम्पलेक्स, कुशलगढ बांसवाडा (राज.) को रूपये 20000/– (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर** खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 03–02–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.03.11 16:32:12 IST
Reason: SelfAttested